

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- पांवीर

प्रकरण संख्या:- 102/2025

दिनांक:- 30/6/2025

इनाम

श्री जडाव देवी पति
स्व. शंभू

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पांवीर भू अ. नि. पांवीर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांवीर पो ह 0 पांवीर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 261 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	जाति संबोधि	जडाव देवी पति स्व. शंभू हिस्सा 300 पति पूरिया	जडाव देवी पति स्व. शंभू हिस्सा 300 पति पूरिया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर तहसीलदार को कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर. पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री जडाव देवी पति शंभू नि. पांवीर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)